नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का संवर्धन

सुमन लता, सहायक प्रोफेसर, मनोहर मैमोरियल शिक्षण महाविद्यालय, फतेहाबाद (हरियाणा) suman29.gill@gmail.com

शोध सार

व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का योगदान सर्वोपरि रहा है। सर्वांगीण विकास की इस प्रक्रिया में शिक्षा का माध्यम यानी भाषा का अहम रोल है। शिक्षा और भाषा दोनों एक दूसरे के पूरक है।हमारा देश बहुभाषी देश है यहां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते ही भाषाएं बदल जाती है, लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं है जो बहुमत में बोली जाती हो।जैसे–हिंदी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं, वही हम देखते है कि दक्षिण में तमिल,मलयालम और तेलगू अधिक लोकप्रिय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 122 भाषाएं हैं,जिनमें 22 भाषाएं संविधान की आठवीं सूची में सूचीबद्ध है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सदा–सर्वदा से अनेकता में एकता बनाए रखने की पक्षधर है। किसी भी देश की शिक्षा नीति का विकास में योगदान सर्वोपरि रहा है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विकास को बढ़ावा देकर उस देश की सभ्यता व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के लिए भाषाओं का संवर्द्धन करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने व कार्यरूप देने पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 4.11 से 4.22 तक भाषा के मुद्दों को बहुभाषावाद और इस दस्तावेज को 'भाषा की शक्ति' शीर्षक के रूप में रखा गया है। देश की नई शिक्षा नीति हिंदी और लुप्तप्राय भारतीय भाषाओं का जीवन देने और भारतीय सभ्यता व सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करने का एक सुंदर प्रयास है। नई शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था में त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की पक्षधर है और बहुभाषी समाज की सभ्यता व संस्कृति को संरक्षित करने का एक अथक प्रयास है। निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम सार्थक व राष्ट्रहित में होगें।

सांकेतिक शब्दावलीः नई शिक्षा नीति, हिंदी भाषा की स्थिति, मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र, शास्त्रीय व लुप्तप्राय भाषाएं।

प्रस्तावना :–

किसी भी राष्ट्र के विकास में राष्ट्र की शिक्षा नीति शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को बढाने में पूर्ण सहयोग करती है। राष्ट्र के निर्माण व विकास के साथ–साथ हमारी शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति के विकास का यह एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं को समझते हुए शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देते हुए विद्यार्थियों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को उजागर करना है ।शिक्षा नीति में यह बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले 1968 और 1986 में बदलाव हुआ और अब यह तीसरी बार शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है और इसकी बड़ी विशेषता यह है इसको बनाने में लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतों, 6600 प्रखंडों, 650 जिलों से राय ली गई है। इसे अनेक अनुभवी शिक्षकों, अभिभावकों व जनता के सुझाव के बाद तैयार किया गया है। इसमें कला, संस्कृति के साथ भाषा के माध्यम से सृजनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दिया गया है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिक्षा में भाषाओं के संवर्धन को मुख्य कार्य में शामिल किया गया है, जिसके लिए एक उप–अध्याय (बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति) शीर्षक रखा गया है जिसमें भारत सरकार द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा की शक्ति को स्वीकार करते हुए कुछ नियम बनाए गए है। शिक्षा नीति में भारतीय भाषा और करने का जो कदम उठाया गया है वह अवश्य ही समाज विकास में सहायक बनेगा और इससे छात्र अपनी संस्कृति से भी जुड़ पाएगा। विडंबना यह है कि देश में पहले भी शिक्षा नीति लागू हुई लेकिन उन्हें सही कार्य देन में कुछ कमियां रही।

नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा –

सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में भाषा का योगदान नकारा नहीं जा सकता क्योंकि बिना भाषा के कुछ भी जान पाना और समझ पाना संभव नहीं है ।हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के महत्व को समझाते हुए कहा है –

निज भाषा उन्नति अहै ,सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय का सूल।।

समग्रता से विचार करें तो पता चलता है कि स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियों में आज तक भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा की सत्ता बनी रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सरकारी नीतियों के कारण आज भी हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमारी प्रमुख राजभाषा के रूप के शासकीय प्रयोजनों, वार्ताओं, पत्रों, अभिलेखों में अपनी सत्ता बनाए हुई । ज्ञान व संचार की दृष्टि से तो हम विदेशी भाषाओं को उपयोगी मान सकते हैं लेकिन इस कारण हम अपनी सभ्यता, संस्कृति व परिवेश से लगातार दूर होते जा रहे हैं । आज हम देखते हैं कि मध्यवर्गीय परिवार के युवा अंग्रेजी भाषा

ज्ञान के अभाव के कारण अनेक बार पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और ना जाने कितनी बार उन्हें इस भाषा के ज्ञान के अभाव में मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं सब को देखते हुए नई शिक्षा नीति में मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों को अब हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की शुरुआत की गई है।माना कि पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है किंतु प्रयास से सफलता भी मिल सकती है। हम सब यही आशा करते हैं कि हिंदी युग फिर से आरंभ हो और हिंदी अपने सर्वोच्च पद पर आसीन है।

संविधान की अनुसूची में शामिल भारतीए भाषाए :–

हमारे यहां भाषाओं की विविधता की विरासत है। यही कारण है कि संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उनमें असमिया, बंगाली, बाडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान में संस्कृत, तमिल और कन्नड़ को विशेष भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें हमारी संस्कृत भाषा के अंदर विश्व की संस्कृति की अनमोल धरोहर है जो एक खजाने से कम नहीं है इसलिए उसका सरंक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति और मातृभाषा :–

1988 और 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यविषय यह प्रस्ताव दिया या गया है कि आरम्भिक शिक्षा के दौरान शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि मातृभाषा वह शक्ति है जिससे बालक की नैसर्गिक शक्तियों का विकास होता है। अधिकतर देशों में शिक्षा व्यवस्था का माध्यम मातृभाषा ही है। मातृभाषा से एक बच्चे का परिचय उसके परिवार से आरंभ हो जाता है। इस भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, सोचने व समझने की क्षमता के साथ एक बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, अगर उसकी इस क्षमता का समुचित उपयोग किया जाए तो अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मातृभाषा शिक्षण एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने में कारगर है और सभी छात्रों के संपूर्ण विकास में भी सहायक है। इन्हीं दूरगामी परिणामों का चिन्तन करते हुए भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस की शुरुआत की। देश व विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 में जारी की गई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा की अनिवार्यता को समझते हुए मातृभाषा को महत्व दिया गया है। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों में भी मातृभाषा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया।

नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा नीति का महत्व :–

शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं को समझते हुए विद्यार्थियों को अद्वितीय क्षमताओं से पूरित करना है और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र में तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा शामिल है। इससे पहले कोठारी आयोग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा फार्मूला को स्वीकार किया परंतु कार्य रूप नहीं दिया गया है।

त्रिभाषा सूत्र :–

पहली भाषा – यह मातृभाषा के क्षेत्रीय भाषा रहेगी।

दूसरी भाषा – हिंदी भाषी राज्यों में यह भारतीय भाषा और गैर हिंदी में यह हिंदी और अंग्रेजी रहेगी।

तीसरी भाषा – हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषा और गैर हिंदी में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा।

इस सूत्र का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। हिंदी व गैर हिंदी राज्यों में भाषिक अंतर को लगभग समाप्त करना है।

नई शिक्षा नीति में लुप्तप्राय और शास्त्रीय भाषाओं पर मंथन :–

भाषा संस्कृति अव्यव मात्र नहीं है, बल्कि संस्कृति की संवाहक है। आज की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं अतीत से रोशनी पाती है और शास्त्रीय भाषाएं उन्हें वहन करने कार्य करती है।शिक्षा नीति में शिक्षण की प्रभावशीलता व शोध की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए मुख्य 6 शास्त्रीय भाषाओं जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगू, मलयालम, उड़िया आदि को विश्वविद्यालयों में जोड़ने का सुझाव दिया गया है। इन शास्त्रीय भाषाओं का 1000 से भी अधिक वर्षों का लिखित और मौखिक इतिहास है जो किसी अनमोल धरोहर से अधिक महत्व रखती है। इस अनमोल धरोहर को संजोकर रखने के लिए और इसके साथ पाली, प्राकृत, फारसी आदि भाषाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नई संस्थाएं बनाने पर विचार किया गया है। साथ ही साथ अनुवाद के लिए स्वतंत्र संस्थान बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया

है ताकि तुलनात्मक अध्ययन द्वारा लुप्त संस्कृति को फिर से जागृत किया जा सके। पिछले 50 वर्षो में 220 भाषाएं लगभग लुप्त हो गई है। युनेस्को ने 197 भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। किसी भी भाषा के लुप्त होने से उसके परिणाम बड़े ही भयंकर सामने आते हैं क्योंकि भाषा के प्रत्येक शब्द के पीछे पूरी सांस्कृति विरासत छिपी होती है। अतः संस्कृति व भाषा के ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए भाषा संरक्षण की आवश्यकता है और नई शिक्षा नीति इसमें प्रयासरत है।

उपसंहार :–

अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्ययन के बाद कहा जा सकता है कि एक छात्र के जीवन में शिक्षा का अहम रोल है और शिक्षा देने का माध्यम भाषा है। भाषा द्वारा किसी भी व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। निस्संदेह नई शिक्षा नीति भाषाओं के पुनः सृजन का काम करती है। यह भाषाओं के साथ–साथ सभ्यता, संस्कृति के पुनः सृजन का भी उदेश्य रखती है। इन सभी तथ्यों व संदर्भों के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो उसके सभी को मजबूत बनाना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। हमारी भाषा ही वह माध्यम है जो जन समूह का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी भाषा हिंदी ही हमें जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी का शब्द भंडार मातृभाषा के साथ, क्षेत्रीय भाषा और भारतीय भाषाओं के मेल से निर्मित है। आवश्यकता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले और आमजन की मानसिकता में भी बदलाव आए और साथ ही हम सभी भारतीय भाषाओं पर गर्व महसूस करें। 1921 में इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गांधीजी ने कहा कि **"राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा है।"** हमारी नई शिक्षा नीति समग्र विकास पर केंद्रित है इसके अनुसार 2030 तक अपना उद्देश्य प्राप्त करना लक्ष्य है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर नीति को कागजों से निकाल कार्य रूप दिया जाएगा तो इससे हमारी सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण होगा और साथ ही हमारी पीढ़ी भाषाई बंधनों से आजाद होगी। हमारी अनेकता में एकता और विविध भाषाओं का होना हमारे देश की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी शक्ति को दर्शता हैं। चुनौतियां अवश्य है लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और कार्य योजना बनाई जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। अंतः यदि सार्थक प्रयास होंगे तो निश्चित ही दूरगामी परिणाम बडे सुखद और समाज हित में होगे।

संदर्भ सूची :–

(1) हवाई प्रैस विश्वविद्यालय, मई.2019 [एस] एमएचआरडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020", मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृष्ठ–7
(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अनुच्छेद–4.11
(4) प्रकाश कुमार 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी 24 अगस्त, 2020
(5) Puri, Natasha (20 August, 2019) A review of the National Education Policy of the Govt. of India, The need of data and dynamism in the 21st Century. SSRN
(6) पूल, जे। "राष्ट्रीय विकास और भाषाई विविधता"। जे.ए. फिशमैन (एड.), भाषा के समाजशास्त्र में अग्रिम। (वॉल्यूम. 2, पीपी 213–230)
(7) आदिवासी मातृभाषा बोलने वालों की भाषा की कमी और आर्थिक उत्तरजीविता को संबोधित करना हिट pc/hedailyguardian-comthe&news शिक्षा नीति 2020 आदिवासी–मातृभाषा–वक्ताओं की भाषा की कमी और एक्यूले के अस्तित्व को संबोधित करते हुए/30.11.2020 को प्राप्त किया गया
Web desk :
www.dridhtiias.com दृष्टि, The vision (राष्ट्रीय शिक्षा नीति : महत्व व चुनौतियां, 31 जुलाई, 2020)
दृष्टि, The vision (चर्चित मुद्दे) : नई शिक्षा नीति–2020
www.uttamhindu.com/Politics/150172/New-Education-Policyfoundation (नई शिक्षा नीति – नऐ भारत की नींव, 2 अंग, 2020)
www.m.hindi.webindia.com अविचल डा0 अर्पण जैन, नई शिक्षा नीति व हिंदी की उपयोगिता।